(16)

उत्तर प्रदेश सरकार
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड
19 सी, तुलसी गंगा कॉम्पलेक्स, विधानसभा मार्ग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश–226001

सूचना/विज्ञप्ति

सेवाकाल में दिवंगत पुलिस कर्मचारियों के आश्रितों की प्लाटून कमाण्डर पी०ए०सी० (पुरानी नियमावली से आच्छादित) के पद पर सीधी भर्ती की प्रकिया में शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन

संख्याःपीआरपीबी–एक–1–मृ०आ०(10)2018 दिनांकःजून 15 ,2018

1– सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के मृतक आश्रितों के सेवायोजन के सम्बन्ध में शासनादेश संख्याः 2030/6–पु0–1–15–213/2015 दिनांक 18 सितम्बर, 2015 , पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्याः 18/ए–1(124)–2013 दिनांक 24 नवम्बर, 2015 एवं शासनादेश संख्याः 145/6–पु0–10–2018–1200(10)/2018, दिनांकित 21–3–2018 में दी गयी प्रकिया के अनुसार प्लाटून कमाण्डर पी०ए०सी० के कुल 22 पदों पर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमोदित मृत पुलिस कर्मियों के आश्रित 22 पुरूष अभ्यर्थियों (सूची संलग्न) को मृतक आश्रित के रूप में भर्ती किये जाने हेतु उनकी दक्षता मूल्यांकन परीक्षा 05–07–2018 को 11 वीं, वाहिनी पी०ए०सी०, सीतापुर में आयोजित की जायेगी।

2– दक्षता मूल्यांकन परीक्षा के प्रवेश–पत्र बोर्ड की वेबसाइट http://uppbpb.gov.in पर दिनांक 20–6–2018 से उपलब्ध होंगे जहां से अभ्यर्थी उसे डाउनलोड कर प्राप्त करेंगे। अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वह प्रवेश पत्र पर अंकित महत्वपूर्ण निर्देशों का भली–भांति अध्ययन कर इसका अनुपालन सुनिश्चित करेगें।इन निर्देशों का उल्लंघन किये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

3– दक्षता मूल्यांकन परीक्षा के अन्तर्गत सभी पुरूष अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता के मूल्यांकन हेतु **उत्तर प्रदेश** प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली, 2008 दिनांकित 02–12–2008(यथासंशोधित) के प्राविधानों के अनुसार प्लाटून कमाण्डर पी०ए०सी० पद पर सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा की प्रकिया एवं मानकों के अनुरूप उनसे शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। चूंकि मूल नियमावली के मानकों में समय–समय पर संशोधन होते रहे हैं । अतः जिन मृतक आश्रित अभ्यर्थियें के आवेदन की तिथि, जिस प्रभावी नियमावली/संशोधित मानकों की परिधि से आच्छादित है, उस अभ्यर्थी को तत्समय प्रभावी नियमावली/संशोधित नियमावली के मानकों के अनुसार उनसे शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी।यह शारीरिक दक्षता परीक्षा अर्हकारी प्रकृति की होगी।

4– उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली, 2008 दिनांकित 02–12–2008 सपठित उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा(द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2011, दिनांकित 10–4–2011 के मानकों से आच्छादित होने वाले संलग्न सूची के कमांक 12,18 एवं 19 पर अंकित अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल होने के लिये पुरूष अभ्यर्थी को 10 कि0मी0 की दौड़ 60 मिनट में पूरी करनी आवश्यक होगी तथा उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली, 2008 दिनांकित 02–12–2008 सपठित उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा(चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2014, दिनांकित 04–03–2014 के मानकों से आच्छादित होने वाले संलग्न सूची के शेष अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल होने के लिये पुरूष अभ्यर्थी को 4.8 कि0मी0 की दौड़ 35 मिनट में पूरी करनी आवश्यक होगी जो अभ्यर्थी नियत समय के भीतर दौड़ पूरी नहीं करेंगे, वे भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे।

5– शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिये अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जायेगी कि वे दिये गये दिनांक और समय पर उपस्थित हों । शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिये निर्धारित तिथि एवं समय पर अनुपस्थित अथवा परीक्षा में भाग लेकर परीक्षा में विहित मानक प्राप्त न कर सकने के कारण असफल हो जाने वाले अभ्यर्थी को दूसरा मौका नहीं किया जायेगा और स्वास्थ्य के कारण या किसी अन्य आधार पर चाहे जो भी हो, पुनः परीक्षा के लिये अपील नहीं की जा सकेगी, परन्तु दैवीय/अपरिहार्य कारणों (वर्षा अथवा तकनीकी कठिनाई) से उस तिथि पर परीक्षा पूर्णतः अथवा आंशिक बाधित होने की दशा में बोर्ड द्वारा किसी अन्य तिथि पर परीक्षा आयोजित की जा सकती है। शारीरिक दक्षता परीक्षा तीन सदस्यीय दल द्वारा ली जायेगी, जिसमें डिप्टी कलेक्टर, चिकित्सक एवं पुलिस उपाधीक्षक सदस्य होगें ।

6– शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की संख्या निर्धारित पदों के बराबर या उससे कम होने की स्थिति में सभी सफल अभ्यर्थियों को चयनित करते हुये अन्तिम चयन सूची बनायी जायेगी। चयन सूची में स्थान न पाने वाले सभी अभ्यर्थियों को इस पद की मृतक आश्रित भर्ती हेतु असफल घोषित किया जायेगा। चयन सूची पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश को अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जायेगी ।

15.6.18

अपर सचिव (प्रोन्नति)
उ0प्र0पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,
लखनऊ।